संख्या- 192 /2026/ 2394 /चार-2026-2081732

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 17 अगस्त, 2026**

विषय:- जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के प्रस्तावित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलके भ्रमण कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1335/सं0नि0-15(61)/2026-27, दिनांक 14 अगस्त, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के प्रस्तावित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल के भ्रमण कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं यात्राव्यय पर होने वाले व्यय धनराशि रू0 3,50,000/- का विवरण सहित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के प्रस्तावित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल के भ्रमण कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं यात्राव्यय पर होने वाले व्यय धनराशि रू0 3,50,000/- (रू0 तीन लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	दिनांक	समय	स्थान	कलाकार का नामकार्यक्रम/ग्रे/	विधा	मानदेय किराये) (सहित
1	18.08.2026	सायं: 05:00 बजे (40 मिनट)	ताज पैलेस, नई दिल्ली	पी0के0 कुन्हीरमन (श्री चेरूथाजम कुन्हीरामा मरार) दिल्ली मो :09818326664 प्रथम/केन्द्रीय एसएनए अवार्डी	पंचवाद्यम	70000
2	20.08.2026	अपराह्न 03:30 से सायं 05:00 बजे तक	ताजमहल, आगरा	श्री हंसराज, मथुरा मो0 9997343572 प्रथम /गैर श्रेणी	बमरसिया	50000
3				सुश्री जया सक्सेना, मथुरा मो:0 9548255147 द्वितीय/गैर श्रेणी	मयूर ब्रज/ के लोकनृत्य	50000
4	21.08.2026	अपरान्ह 02.00 से अपराह्न बजे 03:00 तक	इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ	बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ मो-9839449809	कथक नृत्य	60000
5	22.08.2026	सायं 08:00 बजे से रात्रि	होटल ताज गंगेज, वाराणसी	श्री नीरज मिश्रा, वाराणसी मो0: 9956122906 द्वितीय /एग्रेड	वाद्यवृन्द	55000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6		बजे 09:00 तक		श्री रूद्र शंकर मिश्रा, वाराणसी मो0: 8887860795 प्रथम/युवा एसएनए	कथक एवं लोकनृत्य	55000
7	उद्घोषक (वाराणसी एवं लखनऊ दो स्थानों) 5000x2					10000
	योग (रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र)					350000

3. <u>शर्तें/ प्रतिबन्ध -</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-19-विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञापसंख्या-4/2026/बी-1-812/ दस-2026- 231/2025, दिनाँक-28 मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in